23-10-24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील अप्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। बार-बार आवाज दिलवाई गई। बार-बार आवाज दिलवाने के बावजूद प्रार्थी व वकील प्रार्थी में से कोई उपस्थित नहीं। अतः अदम हाजरी। अदम पैरवी में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.11.05 14:44:49 IST
Reason: SelfAttested